न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जालोर।

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 03/2020

प्रार्थीगणः –

1. जोईताराम पुत्र प्रागाराम
2. समरथाराम पुत्र प्रागाराम जातियान–कलबी निवासीगण विरोल बड़ी तहसील सांचौर जिला–जालोर राज.

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. गणेशाराम पुत्र नरिंगाराम
2. नाथाराम पुत्र नरिंगाराम
3. वेनाराम पुत्र नरिंगाराम जातियान–कलबी निवासीगण विरोल बड़ी तहसील सांचौर जिला–जालोर
4. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सांचौर।
5. शाखा प्रबंधक,स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सांचौर।

उपस्थितः–

1. श्री इब्राहीम शाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री जालाराम पुनिया विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,3
3. अप्रार्थी संख्या 02,04 व 05 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 22.08.2022

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि वांके विरोल बड़ी पटवारी हल्का विरोल तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 374,375,376,377,378,379,626/681,327/755 आयी हुई है। जिसमें आवागमन करने का कदमी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 386 में है। तथा उक्त रास्ता मौके पर करीबन 50 वर्षो से स्थित है। लेकिन अप्रार्थीगण के मन में खोठ आ गया है [illegible] चाहते है। जिसके लिए अप्रार्थीगण दिन प्रतिदिन रास्ते में कांटे डालकर बंद करना चाहते है। [illegible] रा[illegible] रेकर्ड में दर्ज नही होने के कारण हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना [illegible] है तथा [illegible] ही हमारे खेत एवं ढाणी में आने जाने का केवल एकमात्र रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने के कारण हमारे खेत एवं ढाणी का रास्ता पूर्णतय बंद हो जाता है। इसलिए हमें रास्ते की अत्यधि[illegible] आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned by CamScanner

नक्शा परिशिष्ठ "अ" में दर्शाये मार्क ए से बी के मध्य 12 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दिनांक 16.07.2020 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 02.04.05 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अन्य कोई सहखातेदार है जिनको पक्षकार नही बनया है तथा प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज बंटवाडा वगैरा पेश नही किया है। ग्राम बड़ी विरोल के खसरा नम्बर 386 मे से प्रार्थीगण ने कभी आवागमन नही किया है न ही मौके पर कोई रास्ता चलता था न ही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को छोटे–छोटे टूकड़ों में विभाजन करने काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा प्रार्थी ने मौके पर 50 वर्षो से रास्ता होना कथीत किया है। जो धारा 251–ए का नही होकर उक्त प्रावधानों की श्रेणी में नही आता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यन्त सुविधाजनक नही है तथा निकटतम रास्ते का न होकर दुरस्तम रूट का हैं जबकि वास्तवितकता यह है कि प्रार्थी के ग्राम बड़ी विरोल ने नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 0.78 हैक्टर में से जवाब के साथ नक्शा परिशिष्ठ "बः" में लाल स्याही के सीन पर नजदीक व सुविधाजनक रास्ता लम्बई 20 मीटर मौके पर मौजूद है। इसी स्थान से रास्ते के रूप में उपयोग करते है। उक्त भूमि आईदान भील वगेरा के नाम दर्ज है। इस स्थान से प्रार्थीगण का बिलकुल नजदीक व सुविधाजनक का निकटतम रूट का है तथा राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए आधारहीन प्रार्थना पत्र किया जो कानूनी पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण के जांच प्रक्रिया अनुक्रम में पत्रांक/2199 दिनांक 26.08.2022 के जरिये मौका रिपोर्ट तहसीलादर सांचौर से तलब की। जिसकी पालना में तहसीलदार सांचौर ने अपने पत्रांक/राज./12 दिनांक 05.01.2021 को मौका रिपोर्ट पेश की जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने आपत्ति पेश कर निवेदन दन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 374,375,376,377,378,379 में आने जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 373 में बिलकुल नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ता छोटी विरोल से बड़ी विरोल व नेनावा जाने वाली तीनों गॉवों की डामर सड़क से जोड़ता है। लेकिन तहसीलदार सांचौर ने अस्पष्ट मौका रिपोर्ट बनाई है। जिसके कारण पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया। मैनें पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये पुनः मौका जांच रिपोर्ट तलब करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2021 में वर्णित तमाम बिन्दुओं का खुलासा करते हुए तहसीलदार सांचौर ने [illegible] रिपोर्ट पेश की है। जिसके कारण पुनः मौका जांच रिपोर्ट तलब करना अदालत की प्रक्रिया को बवजह बढ़ाकर [illegible] का समय लम्बित करना रहेगा। बाद [illegible]वाई के दिनांक 14.06.2022 को पुनः मौका रिपोर्ट [illegible] की प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 05.01.2021 को मौका जांच रिपोर्ट पेश, कि जिसके अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 386 में से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते की लम्बाई तुलनात्मक रूप से खसरा नम्बर 373 में से दिये जाने वाले रास्ते से ज्यादा होती है। यदि

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु खसरा नम्बर 373 में से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पंहुचने हेतु करीबन 1.05 किमी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण के बहस तथ्यों पर मनन किया। तहसीलदार सांचौरं द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 386 से प्रस्तावित रास्ते की प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से दूरी 182 मीटर होना बताया है। तथा खसरा नम्बर 373 से प्रस्तावित रास्ते की दूरी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से 168 मीटर होना बताया हैं सरे इजलाश प्रार्थी अधिवक्ता को विकल्प दिया गया, कि क्यूकि खसरा नम्बर 373 से प्रस्तावित रास्ता निकटतम है, अतः खसरा नम्बर 373 के खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 373 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाता है तो प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बा हो जाएगा। चूंकि राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 67–70 में निकटतम व लघुतम रास्ता देने का आज्ञापक प्रावधान है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम नही है जैसा कि तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता खसरा नम्बर 386 में से दिया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। एतद्वारा प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

शैलेन्द्रसिंह आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षरित एवं मुद्राकन सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

शैलेन्द्रसिंह आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned by CamScanner